2013/00011

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कैम्प कोर्ट गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 15/2013

अपीलांट्स **बनाम** **रेस्पोडेंट्स**

1.रेखाराम पुत्र ईशराराम
के कायम मुकाम–
1/1.ढेली पत्नि रेखाराम
1/2.नेमाराम पुत्र रेखाराम
1/3.सवाई पुत्र रेखाराम
2.उर्जाराम पुत्र ईशराराम
3.गोरधनराम पुत्र ईशराराम
4.पोलाराम पुत्र जवानाराम
5.गडुकाराम पुत्र जवानाराम
6.आदुराम पुत्र जवानाराम
7.बाबु पुत्र तिलाराम
8.मासिंगाराम पुत्र तिलाराम
9.शंकराराम पुत्र तेजाराम
10.मगाराम पुत्र तेजाराम
11.मोटाराम पुत्र तेजाराम
12.नेहरू पुत्र निम्बाराम
13.बगता गोद पुत्र मुकनाराम
14.भलाराम पुत्र कानाराम
15.मिसराराम पुत्र कानाराम
16.रावता पुत्र पुरखाराम
जाति मेगवाल निवासी अणखिया–
नोखड़ा तहसील गुड़ामालानी

1.लुणाराम पुत्र केसराराम
2.गोरखाराम पुत्र जेरामराम
3.पोकरराम पुत्र जैरामराम
4.नैनाराम पुत्र गोरखाराम
जाति मेगवाल निवासी अणखिया
तहसील गुड़ामालानी
5.शाखा प्रबन्धक थार आंचलिक
ग्रामीण बैंक होडु
6.तहसीलदार गुड़ामालानी

जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 26.04.2013 जो तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मौजा अणखिया के नामान्तरकरण संख्या 226 पर पारित किया गया।

उपस्थितः–1.अपीलांट्स उपस्थित।
2.श्री दलाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 03, की ओर से।
3.रेस्पोडेंट संख्या 4 उपस्थित, 01, 02 व 05 अनुपस्थित।
4.श्री जोधसिंह तहसीलदार गुड़ामालानी रेस्पोडेंट सं. 06 की ओर से।

निर्णय दिनांक 30.05.2016

1. संक्षेप में अपीलांट्स की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की पैतृक खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 41 रकबा 65 बीघा 16 बिसवा,खसरा नम्बर 59 रकबा 121 बीघा 04 बिस्वा ग्राम अणखिया तहसील गुड़ामालानी में आये हुए थे। यह खेत वक्त सेटलमेंट

जिला कलक्टर
बाड़मेर

में स्व. अमराराम के छः पुत्रों ईशरा,मुकना,जैराम,काना तेजा व पुरखाराम के नाम दर्ज हुए। स्व. अमराराम के पुत्र मुकना के मात्र एक लड़की व पत्नि पार्वती देवी थी। उसने अपने जीवनकाल में अपीलांट संख्या 13 को गोद ले रखा था। पार्वती देवी की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरकरण स्वीकृत करने तक जमाबंदी में श्रीमती पार्वती देवी का नाम चला आ रहा था। रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 द्वारा एक फर्जी एंव गलत वसीयत तैयार कर श्रीमती पार्वती देवी के फौत होने पर पटवारी हल्का नोखड़ा ने मौजा अणखिया के खेत खसरा नम्बर 41 रकबा 65 बीघा 16 बिसवा,खसरा नम्बर 59 रकबा 121 बीघा 04 बिस्वा में पार्वती देवी के हिस्सा की भूमि का वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 226 धूड़ा वल्द केसरा एंव नेना वल्द गोरखा के नाम भरकर तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष पेश किया। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26..04. 2013 द्वारा स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश का ज्ञान पूर्व मे नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मियाद सुमार करने का भी निवेदन किया। अपीलांट्स ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंट्स को सम्मन किये एंव अपीलाधीन रिकॉर्ड तलब किया।.

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट गुड़ामालानी में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। अपीलांट्स उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट्स संख्या 04 उपस्थित,03 की ओर से अधिवक्ता एंव 06 की ओर से तहसीलदार गुड़ामालानी उपस्थित रहे। रेस्पोडेंट संख्या 01.02 एंव 05 अनुपस्थित। अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 ,02 से 05 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।

4. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। अपीलाधीन रिकॉर्ड एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपील के साथ प्रस्तुत वंशावली अनुसार ग्राम अणखिया के खसरा नम्बर 41 रकबा 65 बीघा 16 बिसवा एंव खसरा नम्बर 59 रकबा 121 बीघा 04 बिस्वा भूमि ईशरा,मुकना,जैराम,काना, तेजा एंव पुरखा पिसरान अमराराम के नाम दर्ज थी। स्व. अमराराम के पुत्र मुकना के एक मात्र लड़की व पत्नि पार्वती देवी बताई गई है। मुकना के फौत होने पर वादग्रस्त भूमि में मुकना के हिस्से की भूमि जमाबंदी में पार्वती देवी के नाम खातेदारी अंकित की गई। प्रस्तुत वसीयतनामा के अवलोकन से खातेदार पार्वती देवी बेवा मुकना ने मौजा अणखिया के खसरा नम्बर 41 रकबा 65 बीघा 16 बिसवा एंव खसरा नम्बर 59 रकबा 121 बीघा 04 बिस्वा भूमि में अपने हिस्से

जिला कलक्टर
बाड़मेर

की भूमि का अपने दोहीते धूड़ा वल्द केसरा एंव देवर के पुत्र नेना वल्द गोरखा के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 19.08.1983 को निष्पादित किया है। पार्वती देवी के फौत होने पर वसीयतनामा के आधार पर मौजा अणखिया के खसरा नम्बर 41 रकबा 65 बीघा 16 बिसवा एंव खसरा नम्बर 59 रकबा 121 बीघा 04 बिस्वा में पार्वती देवी के हिस्सा की भूमि का नामान्तरकरण संख्या 226 धूड़ा वल्द केसरा एंव नेना वल्द गोरखा के पक्ष में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा दिनांक 26.04.2013 को स्वीकृत किया गया है, जिसमें कोई वैधानिक त्रुटि एंव अनियमितता प्रतीत नहीं हुई है। अपीलांट्स का यह कथन कि वसीयतनामा की कार्यवाही फर्जी एंव गलत है। यदि वसीयतनामा फर्जी,एंव गलत रूप से निष्पादित करवाया है, तो ऐसे दस्तावेजो को निरस्त कराने हेतु सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये। इस न्यायालय को ऐसे दस्तावेजों को रद्द करने का अधिकार नहीं है। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नामान्तरकरण सम्बन्धी कार्य एक संक्षिप्त कार्यवाही है, नामान्तरकरण कार्यवाही में वसीयत, गोद,उतराधिकार के जटिल विवादों का विनिश्चय करना संभव नहीं है। अपीलांट्स को वसीयत बाबत आपति हो तो वह सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर सकते है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट्स की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एंव तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मौजा अणखिया के नामान्तरकरण संख्या 226 पर पारित आदेश दिनांक 26.04.2013 यथावत रखा जाता है।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश खुले न्यायालय कैम्प गुड़ामालानी में आज दिनांक 30.05.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर